



2026:AHC:127059

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 19608/2026

रामवीर उर्फ वीरा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मानवेन्द्र सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्तागण : शासकीय अधिवक्ता फखरुज्जमां, मोहम्मद उबैद खान

न्यायालय सं० - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. सूची पुनरीक्षित। सूचनाकर्ता की ओर से विरोध हेतु कोई उपस्थित नहीं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, मु.अ.सं० 1288/2025 (सत्र परीक्षण सं० 440 सन् 2026), अन्तर्गत धारा 140(1), 309(4), 3(5), 103(1), 238(ए) एवं 317(2) बी.एन.एस., थाना-साउथ, जिला- फिरोजाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा वह अभियुक्त राहुल के अपराध-स्वीकृति कथन में सामने आया है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रकरण है तथा मृतक को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अंतिम बार आवेदक के साथ देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तथा उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। केवल पुलिस के समक्ष अपराध-स्वीकृति कथन के आधार पर आवेदक को फंसाया गया है। आवेदक की कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दि० 23.11.2025 से कारागार में है। आगे यह कहा जाता है कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त अभिषेक को इस न्यायालय द्वारा दि० 09.04.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 11149 सन् 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त अभिषेक सिंह के जमानत आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह स्वीकार किया कि समान स्थिति में रहा सह-अभियुक्त पहले ही जमानत प्राप्त कर चुका है।

7. आवेदक और ए.जी.ए. के वकीलों की दलीलों, एफआईआर और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका, सज़ा की गंभीरता और दोनों पक्षों के वकीलों की बातों को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना—मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत का हकदार है। समानता के आधार पर जमानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

8. जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।

9. अभियुक्त-आवेदक **रामवीर उर्फ वीरा**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक को यह वचन पत्र देनी होगी कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर खुद या अपने वकील के ज़रिए पेश होना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (जो बीएनएस की धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(v) अगर कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर वह व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए (जो बीएनएस की धारा 209 के बराबर है) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो कोर्ट इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।